संख्या-60/2016/1928/92-1-2016-5ब/2015

प्रेषक,

महेश कुमार गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक एवं मुख्य अभियंता,
ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1, लखनऊ: दिनांक: 24 अगस्त, 2016

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष के अनुदान सं0-13 के अधीन लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-03-ग्रामीण अभियंत्रण विभाग हेतु अधिष्ठान के विभिन्न मानक मदों में मतदेय मद के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-933/ग्रा0अ0वि0/बजट/अनुमान/2016-17, दिनांक 24-6-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उपर्युक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष के अनुदान सं0-13 के अधीन लेखाशीर्षक "2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-03-ग्रामीण अभियंत्रण विभाग" हेतु अधिष्ठान के विभिन्न मानक मदों में मतदेय मद के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 3,51,15,97,000/- (रूपये तीन अरब इक्यावन करोड़ पन्द्रह लाख सत्तानवे हजार मात्र) एवं भारित मद के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 7,50,000/- (रूपये सात लाख पचास हजार मात्र) कुल धनराशि रू0 3,51,23,47,000/- (रूपये तीन अरब इक्यावन करोड़ तेइस लाख सैंतालिस हजार मात्र) के सापेक्ष शासन के पत्र संख्या-24/2016/1140/92-1-2016-5ब/2015, दिनांक 29-4-2016 द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि रू0-3,34,79,25,000 (रूपये तीन अरब चौतीस करोड़ उन्यासी लाख पच्चीस हजार मात्र) एवं शासनादेश संख्या-1501/92-1-2016-5ब/2015 द्वारा स्वीक़त/अवमुक्त धनराशि रू0 153280 हजार (रूपये पन्द्रह करोड़ बत्तीस लाख अस्सी हजार मात्र) के उपरान्त इस आदेश के माध्यम से अधिष्ठान के मानक मद 07-मानदेय के अन्तर्गत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्राविधानित कुल रू0 942 हजार के सापेक्ष श्री राकेश यादव, मा0 सलाहकार, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के यात्रा भत्ता के बिलों के भुगतान हेतु कुल रू0 34,000 (रूपये चौतीस हजार मात्र) आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं।

3- उपर्युक्त स्वीकृत/अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यों/मदों में किया जायेगा, जिसके लिये धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्हीं अन्य कार्यों/मदों में धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

4- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष के अनुदान सं0-13 के अधीन लेखाशीर्षक "2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय -03-ग्रामीण अभियंत्रण विभाग" के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं0-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22-03-2016 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(महेश कुमार गुप्ता)
प्रमुख सचिव।

संख्या-60/2016/1928(1)/92-1-2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
4- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिशिर कुमार यादव)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।